उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-201/2019/2816/92-2-2019-95एम/2019,

लखनऊ :: दिनांक:: 31 दिसम्बर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड/पी0आई0यू0-ललितपुर में किसी भी निर्माण कार्य का मानक के अनुसार निरीक्षण नहीं किये जाने, श्री राजेन्द्र कुमार, अवर अभियन्ता के स्थानान्तरण के बावजूद भी उन्हे कार्यमुक्त न करने, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड ललितपुर में कार्यरत कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने, जनप्रतिनिधियों से उचित संबंध, शिष्टाचार एवं अपेक्षित सम्पर्क न होने के कारण प्रखण्ड ललितपुर में कार्यभार अर्जित करने का निर्धारित लक्ष्य पूर्ण नहीं किये जा सकने आदि अनियमितताओं व विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री सुधीश त्यागी, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड ललितपुर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-चित्रकूट धाम बांदा को पदेन जांच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-ललितपुर को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) निर्धारित समयावधि में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-201/2019/2816(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को निदेशालय के पत्र संख्या-585/ग्रा0अ0वि0/नियो0-जांच-ललितपुर/पत्रा0सं0-235/19-20, दिनांक 06.12.2019 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि श्री सुधीश त्यागी, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड ललितपुर के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर मय साक्ष्यों सहित शासन को (दो प्रतियों में) 03 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल चित्रकूट धाम बांदा ।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-ललितपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- श्री सुधीश त्यागी, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड ललितपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।